an>

Title: Need to ensure increased participation of women in public and political field in the country.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा)ः देश की आधी आबादी कहलाने वाली महिलाओं की फैसले लेने में हिस्सेदारी एक चौथाई भी नहीं है। सरकार से लेकर संसद, विधान सभा या विधान परिषदों, माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, भारतीय प्रशासनिक सेवा हों या बैंक, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में फैसले लेने वाले उच्च पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी उनकी आबादी की तुलना में बहुत कम है। केन्द्रीय मंत्रीपरिषद में महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र 17 प्रतिशत है। लोक सभा में 11 प्रतिशत सदस्य ही महिलाएं हैं। दूसरी और राज्यों की विधान सभाओं और विधान परिषदों में महिलाओं की हिस्सेदारी और भी कम मात्र 9 प्रतिशत ही है।

देश के उच्च न्यायालयों में महिला जजों की संख्या 11 प्रतिशत है। माननीय उच्चतम न्यायालय में केवल एक महिला जज है। देश के आठ माननीय उच्च न्यायालयों में एक भी महिला जज नहीं है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में 14 प्रतिशत और बैंकों में महिला अधिकारी केवल 20 प्रतिशत ही है। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। केन्द्र सरकार ने केवल केन्द्रीय सुरक्षा बलों में ही 33 प्रतिशत महिलाओं को हिस्सेदारी दी है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि महिलाओं को 33 प्रतिशत की हिस्सेदारी देकर देश की इस आधी आबादी को गौरवान्वित किया जाए।